न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 33/2022

अनवान :

1. सुरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी किराड़ाबड़ा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. मनीराम पुत्र डुंगरराम जाति कुम्हार निवासी किराड़ाबड़ा त0 भादरा।
2. प्रवीत कुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी किराड़ावडा त0 भादरा।
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिए शाखा प्रबंधक कलाना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88- 188 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री नरेश कुमार **: वादी**
वकील श्री महेन्द्र जागीड़ **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 28.03.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किराड़ाबड़ा के खाता संख्या 121/140 के खसरा सं0 508/239 की 9.7880है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 3263/29364 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता डुंगरराम की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मनीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सुरेश कुमार पुत्र मनीराम निवासी किराडाबड़ा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही किराड़ावडा संवत 2075–78 प्रदर्श 1, नामान्तकरण रस्टिर ग्राम किराड़ाबड़ा प्रदर्श 2, जमाबंदी रौही किराड़ाबड़ा संवत 2029–37 प्रदर्श 3, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने किराड़ाबड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा किराड़ावड़ा के खाता संख्या 121/140 के खसरा सं0 508/239 की 9.7880है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 3263/29364 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ावड़ा के खाता संख्या 121/140 के खसरा सं0 508/239 की 9.7880है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 3263/29364 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 मनीराम अकेले के बजाय वादी सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं0 1 मनीराम, प्रतिवादी संख्या 2 प्रवीत कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 33/2022

अनवान :

1. सुरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी किराड़ाबड़ा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. मनीराम पुत्र डुंगरराम जाति कुम्हार निवासी किराड़ाबडा त0 भादरा।
2. प्रवीत कुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी किराड़ाबड़ा त0 भादरा।
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिए शाखा प्रबंधक कलाना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेश कुमार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महेन्द्र जागीड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ाबड़ा के खाता संख्या 21/140 के खसरा सं0 508/239 की 9.7880हे0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 3263/29364 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 मनीराम अकेले के बजाय वादी सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं0 1 मनीराम, प्रतिवादी संख्या 2 प्रवीत कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner